भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1137
11 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए विधान

1137.श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कोई विधान लाने की योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की वापस लिए गए तीन कृषि कानूनों को भविष्य में फिर से लाने की कोई योजना है;

(घ) क्या सरकार तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को कोई मुआवजा प्रदान करेगी; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दोनों फसल मौसमों में उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की 22 प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। इसके अलावा, तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए एमएसपी भी क्रमशः रेपसीड और सरसों तथा कोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। सरकार अपनी विभिन्न हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य भी प्रदान करती है। इसके अलावा, एमएसपी और सरकार के खरीद कार्यों की घोषणा के अनुसार समग्र बाजार कार्य करते है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी पर या उससे अधिक निजी खरीद होती है।

सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के पोषक अनाज और मक्का राज्य सरकारों द्वारा स्वयं एफसीआई के परामर्श से इस सीमा तक खरीदे जाते हैं कि संबंधित राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के साथ-साथ अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए इसका उपयोग कर सकती है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद, इसके निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एमएसपी पर की जाती है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) के माध्यम से सरकार द्वारा एमएसपी पर कपास और जूट की भी खरीद की जाती है।

एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रभावी खरीद करने और किसानों को एमएसपी का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए, संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे नैफेड, एफसीआई आदि द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और अन्य लॉजिस्टिक्स/बुनियादी ढांचे जैसे भंडारण और परिवहन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख बिंदुओं पर मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अलावा बड़ी संख्या में खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

(ग): जी नहीं।

(घ) और (ड.) : किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे आदि का विषय संबंधित राज्य सरकारों के पास है।

****